

तारीख हुक्म

11/11/23

पत्रावली प्रस्तुत। वकील पत्रकारिता उपस्थित। प्रार्थना का
मूल तथ्य-टिप्पणी किताब या पुस्तक है। प्रार्थना पत्र को
आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थना
का प्रार्थना पत्र इसी (साल) खातिर किताबों का
पत्रावली नष्ट है किंतु होकर दायर कर दिया है।

उपखंड अधिकारी
बीकानेर (चुन)